भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *240
उत्तर देने की तारीख 09 मार्च, 2026
सोमवार, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

एआई ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान

*240. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में स्थापित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड सहित उन्नत तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा संस्थान स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो स्थान, क्षमता, अनुमानित लागत और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त मौजूदा और नए संस्थानों में शुरू किए जाने वाले नए पाठ्यक्रमों और ट्रेडों का ब्यौरा क्या है और उद्योग की जरूरतों को तय करने के लिए किन मापदंडों का उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में ऐसा संस्थान स्थापित करने के लिए धनराशि आबंटित की है या उद्योगों की भागीदारी आंमत्रित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एनएसटीआई में कौशल विकास बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षक क्षमता को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'एआई ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान' के संबंध में श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 240 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा देशभर में स्थित 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) (19 महिला एवं 14 सामान्य) तथा 5 विस्तार केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) संचालित की जाती है। जिसका उद्देश्य अनुदेशक प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक कौशल एवं प्रशिक्षण पद्धति, दोनों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे उद्योग हेतु कुशल जनशक्ति के प्रशिक्षण की तकनीकों से भली-भांति परिचित हो सकें।

देशभर में स्थित एनएसटीआई के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-1** में संलग्न है।

(ख) से (ङ) आंध्र प्रदेश राज्य में नए एनएसटीआई की स्थापना के लिए व्यय विभाग (DoE) की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 28.10.2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्राप्त की गई है, जो **अनुलग्नक-2** में संलग्न है।

नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) के लिए अनुमानित लागत ₹100 करोड़ है तथा भूमि की उपलब्धता एवं वैधानिक अनुमोदनों को पूरा किए जाने के अध्यधीन, इसके कार्यान्वयन की संभावित समय-सीमा तीन वर्ष निर्धारित की गई है।

विशाखापट्टनम में स्थित मौजूदा एनएसटीआई एक्सटेंशन सेंटर में 50 प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण क्षमता है। नए एनएसटीआई से अपेक्षा है कि अतिरिक्त दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ उन्नत कौशल विकास और पुनर्कौशल कार्यक्रमों को शामिल करके इस क्षमता में वृद्धि होगी।

नए एवं मौजूदा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में प्रारंभ किए जाने वाले नए पाठ्यक्रमों एवं ट्रेडों का निर्धारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, उद्योग हितधारकों, क्षेत्र कौशल परिषदों के परामर्श से किया जाता है।

(च) कौशल विकास अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से "उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार योग्यता परिवर्तन योजना (पीएम-सेतु)" को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदित किया है।

इस योजना का स्वीकृत वित्तीय परिव्यय ₹60,000 करोड़ है, जिसमें ₹30,000 करोड़ की केंद्रीय हिस्सदारी, ₹20,000 करोड़ की राज्य हिस्सेदारी तथा ₹10,000 करोड़ की उद्योग हिस्सेदारी

शामिल है। इस योजना के अंतर्गत घटक-II के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, लुधियाना तथा कानपुर स्थित पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता वृद्धि किए जाने और उद्योग सहयोग एवं वैश्विक साझेदारी के साथ इन एनएसटीआई में राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना किए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए ₹1,500 करोड़ का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।

अनुलग्नक-I

'एआई ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान' से संबंधित दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 240 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	राज्य	एनएसटीआई का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र, वाइज़ैग
2.	बिहार	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, पटना
3.	गोवा	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, गोवा
4.	गुजरात	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, वडोदरा
5.	हरियाणा	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, पानीपत
6.	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, शिमला
7.	जम्मू एवं कश्मीर	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू
8.	जम्मू एवं कश्मीर	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र, श्रीनगर
9.	झारखंड	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर
10.	झारखंड	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र, रांची
11.	कर्नाटक	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, बेंगलुरु
12.	कर्नाटक	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, बैंगलुरु
13.	केरल	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, त्रिवेंद्रम
14.	केरल	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, कालीकट
15.	लद्दाख	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र, लेह
16.	मध्य प्रदेश	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर
17.	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई
18.	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई
19.	मणिपुर	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र, मणिपुर
20.	मेघालय	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, तुरा
21.	ओडिशा	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर
22.	पंजाब	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, मोहाली
23.	पंजाब	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना
24.	राजस्थान	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
25.	राजस्थान	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर
26.	तमिलनाडु	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, त्रिची
27.	तमिलनाडु	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई
28.	तेलंगाना	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद

क्र.सं.	राज्य	एनएसटीआई का नाम
29.	तेलंगाना	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद (रामंतपुर)
30.	तेलंगाना	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद (विद्यानगर)
31.	त्रिपुरा	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, अगरतला
32.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद
33.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा
34.	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर
35.	उत्तराखंड	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून
36.	उत्तराखंड	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी
37.	पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता
38.	पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, हावड़ा

अनुलग्नक-II

'एआई ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान' से संबंधित दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 240 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

364304/2025/O/o DIR(CFIs)

No.74(02)/PFC-II/2024
Government of India/भारत सरकार
Ministry of Finance/वित्त मंत्रालय
Department of Expenditure/व्यय विभाग
Public Finance Central-I/ लोक वित्त केंद्र-I
*****

Kartavya Bhawan-1, New Delhi
Dated: 28.10.2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Seeking in-principal approval of Department of Expenditure on the Concept Note for setting up New National Skill Training Institutes (NSTIs) in Andhra Pradesh and Chhattisgarh- reg.

The undersigned is directed to refer to MSDE O.M. No. DGT-NSTI/1/2025-O/o DIR(CFIs) (70753) dated 26.05.2025 seeking in-principal approval from DoE on the Concept Note for setting up new National Skill Training Institutes (NSTIs) in the states of Andhra Pradesh and Chhattisgarh.

2. The proposal has been examined and *in-principle* approval of the DoE for setting up of two NSTIs in Andhra Pradesh and Chhattisgarh is conveyed subject to the condition that MSDE would send a separate proposal to E.Coord.I Division of DoEon file for creation of posts (below JS level) for the new National Skill Training Institutes (NSTIs) in Andhra Pradesh and Chhattisgarh for examination/consideration in terms of this Department's instructions/guidelines dated 05.01.2024. Such proposal may be sent only after the main proposal is approved by the appraisal body.

3. Further, the MSDE is also advised to frame a policy regarding setting up/ expansion of NSTIs, adhering to demand, skill-gap, emerging skills, population/ population density, etc. Such policy shall also cater to the needs of aspirational districts, north-eastern states, underserved areas and shall also address the gender gap concerns.

4. This issues with the approval of the Secretary (Expenditure).

Nirnay 28/10/2025
Nirnay Pratap Singh
Dy. Director (PFC-I)

To,
The Director (CFI)
M/o Skill Development & Entrepreneurship
Kaushal Bhawan, New Moti Bagh
New Delhi- 110023

DIR (HDG)
Dy. No./FTS No. 342
Date 4-11-2025

File No. DGT-NSTI/1/2025-O/o DIR(CFIs) (Computer No. 70753)
Generated from eOffice by ASHEESH KUMAR SHUKLA, DD(A K S) -O/o DIRECTOR (CFIs) ((DD), DD, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 03/03/2026 11:20 am